कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण कक्ष)

सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, मध्यप्रदेश, भोपाल

Tel. (office) 2674212 (Fax) 2551450, E-mail: apccfprot@mp.gov.in

क्रमांक/वन अपराध/2014/6329 भोपाल, दिनांक 17/11/14

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय),
मध्यप्रदेश।

विषयः–वन भूमि पर नये अतिक्रमण न होने देने के संबंध में।

संदर्भः–माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा वन विभाग की समीक्षा दिनांक 23–5–2014 एवं म0प्र0 शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ–25/43/6/10–3 दिनांक 25 सितम्बर, 2009 तथा पत्र क्रमांक/एफ–25/83/10–3/2004 दिनांक 21 जनवरी, 2008.

———

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा एवं दिनांक 23–5–2014 की समीक्षा के दौरान माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि **"वन भूमि पर नये अतिक्रमण न हों, इस हेतु विभाग कटिबद्ध रहे। विभागीय मंत्री जी द्वारा हेलीकाप्टर से वन क्षेत्र विशेषकर हनी कॉम्बिंग का निरीक्षण किया जाय"।**

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय को विभिन्न संदर्भित पत्रों द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि वन भूमि पर होने वाले नये अतिक्रमणों को शक्ति से रोका जाय और किसी भी स्थिति में नये अतिक्रमण न होने देना सुनिश्चित किया जाये तथा यह भी निर्देश थे कि वन अधिकार अधिनियम (वनाधिकारों की मान्यता) 2004 के अन्तर्गत पात्र पाये गये और जिन्हें अधिकारों की मान्यता प्रदान कर दी गई है, को छोड़कर समस्त अवैध अतिक्रमणों के विरूद्ध नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जाये। यह देखने में आ रहा है कि क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का सही तरीके से अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

वर्ष 2006 से 2013 तक के वन अपराधों की समीक्षा के दौरान भी यह तथ्य प्रकाश में आया है कि प्रदेश में काफी बड़ी मात्रा में अतिक्रमण के प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में वन भूमि पर अतिक्रमण होना भी बताया गया है, परन्तु उनकी बेदखली के संबंध में कार्यवाही बावत कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

माननीय वन मंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देश के तहत वन भूमि के अतिक्रमित क्षेत्रों विशेषकर हनी कॉम्बिंग के क्षेत्रों में माननीय वन मंत्री जी द्वारा हेलीकाप्टर से निरीक्षण किया जाना है। अतः अतिक्रमण के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2005 के बाद के अतिक्रामकों को नियमानुसार कड़ाई से बेदखल करने की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ की जाये, जिन व्यक्तियों के प्रकरण वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अन्तिम रूप से निर्णित हो